न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 71 / 2019 दायरा दिनांक : 20.08.2019

उनवान

1– काना उर्फ कन्हीराम आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2– मांगीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– चुन्नीलाल उर्फ जगदीश आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2– घनश्याम आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

3– कालीबाई पुत्री जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

4– लीलाबाई बेवा पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, हाल अन्ता जिला बारां

5– लक्ष्मीनारायण आत्मज पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

6– रमेश आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

7– ज्ञानसिंह आत्मज रामसिंह, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– सुगनबाई पत्नी ज्ञानसिंह, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 72/201 दायरा दिनांक : 20.08.2019

उनवान

1– काना उर्फ कन्हीराम आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2– मांगीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– चुन्नीलाल उर्फ जगदीश आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2– घनश्याम आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

3– कालीबाई पुत्री जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

4– लीलाबाई बेवा पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, हाल अन्ता जिला बारां

5– लक्ष्मीनारायण आत्मज पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

6– रमेश आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

7– ज्ञानसिंह आत्मज रामसिंह, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– सुगनबाई पत्नी ज्ञानसिंह, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 55 / 2019 दायरा दिनांक : 22.07.2019

उनवान

1— काना उर्फ कन्हीराम आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2— मांगीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— चुन्नीलाल उर्फ जगदीश आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2— घनश्याम आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

3— कालीबाई पुत्री जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

4— लीलाबाई बेवा पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, . हाल अन्ता जिला बारां

5— लक्ष्मीनारायण आत्मज पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

6— छगन सिंह पिता मोतीलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज॰)

अपील संख्या 57 / 201 दायरा दिनांक : 22.07.2019

उनवान

1— काना उर्फ कन्हीराम आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2— मांगीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— चुन्नीलाल उर्फ जगदीश आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

2— घनश्याम आत्मज पूरा, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

3— कालीबाई पुत्री जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

4— लीलाबाई बेवा पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, हाल अन्ता जिला बारां

5— लक्ष्मीनारायण आत्मज पूरा जाति कहार, निवासी ग्राम गादियां, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

6— छगन सिंह पिता मोतीलाल, जाति कहार, निवासी ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री रविशंकर विजय अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

ये चारों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये चारों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 168/2014, 169/2014 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.12.2015, 14.03.2015 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 57/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया इसके सम्मन कभी भी अपीलांट को नहीं मिले तथा सम्मन की उचित रूप से तामील नहीं हुई । अपीलांट के सम्मन पर हस्ताक्षर भी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा दिनांक 14.12.2015 को एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया इसके सम्मन कभी भी अपीलांट को नहीं मिले तथा सम्मन की उचित रूप से तामील नहीं हुई । अपीलांट के सम्मन पर हस्ताक्षर भी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा दिनांक 14.12.2015 को एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई तथा अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया । अपीलांट को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया । अपीलांट को जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया । रेस्पोडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त की जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट वादग्रस्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी के खातेदार हैं । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है । रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं हैं और रेस्पोडेंटगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का कोई उचित एवं समुचित अवसर नहीं दिया गया है । रेस्पोडेंट्स ने फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय में डिक्री प्राप्त की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट/प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण, छगन अपीलांट के रूप में पक्षकार नहीं बनने के कारण रेस्पोडेंट नम्बर 5, 6 बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.12.2015 निरस्त की जावे ।

अपील संख्या 55/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम् गादिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ के माल की खाता संख्या 51 की 3 किता की 06.11 बीघा आराजी शामलाती खाते की दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी नम्बर 1 लगायत 4 का व प्रतिवादी नम्बर 1 का 5/18 हिस्सा शामलाती दर्ज है । विवादग्रस्त आराजी शामलाती में रहने से आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है । वादी ने विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से अपीलार्थीगण के विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया गया । वादग्रस्त आराजी का विभाजन पत्र

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील **प्राधिकारी**
कोटा (राज.)

तैयार करते समय भी मौके पर प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया गया । विभाजन पत्र पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाया गया एवं उनके कब्जे व हिस्से का ध्यान नहीं रखा गया । विभाजन पत्र तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया इसके आधार पर पारित फाईनल डिक्री विधि सम्मत नहीं है । इस कारण एक पक्षीय डिक्री एवं विभाजन पत्र निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 29.06.2016 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 71/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया इसके सम्मन कभी भी अपीलांट को नहीं मिले तथा सम्मन की उचित रूप से तामील नहीं हुई । अपीलांट के सम्मन पर हस्ताक्षर भी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा दिनांक 14.03.2015 को एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया इसके सम्मन कभी भी अपीलांट को नहीं मिले तथा सम्मन की उचित रूप से तामील नहीं हुई । अपीलांट के सम्मन पर हस्ताक्षर भी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा दिनांक 14.03.2015 को एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई तथा अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया । अपीलांट को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया । अपीलांट को जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया । रेस्पोडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त की जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट वादग्रस्त

(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी के खातेदार हैं । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है । रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं हैं और रेस्पोडेंटगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का कोई उचित एवं समुचित अवसर नहीं दिया गया है । रेस्पोडेंट्स ने फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय में डिक्री प्राप्त की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट/प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण, रमेश, ज्ञानसिंह, सुगनाबाई अपीलांट के रूप में पक्षकार नहीं बनने के कारण रेस्पोडेंट नम्बर 5, 6, 7, 8 बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.03.2015 निरस्त की जावे ।

अपील संख्या 72/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम गादिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ के माल की खाता संख्या 51 की 3 किता की 06.11 बीघा आराजी शामलाती खाते की दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी नम्बर 1 लगायत 4 का व प्रतिवादी नम्बर 1 का 5/18 हिस्सा शामलाती दर्ज है । विवादग्रस्त आराजी शामलाती में रहने से आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है । वादी ने विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से अपीलार्थीगण के विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया गया । वादग्रस्त आराजी का विभाजन पत्र

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

तैयार करते समय भी मौके पर प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया गया । विभाजन पत्र पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाया गया एवं उनके कब्जे व हिस्से का ध्यान नहीं रखा गया । विभाजन पत्र तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया इसके आधार पर पारित फाईनल डिक्री विधि सम्मत नहीं है । इस कारण एक पक्षीय डिक्री एवं विभाजन पत्र निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 29.06.2016 अपास्त की जावे ।

चारों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.07.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

चारों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 71/2019 व 72/2019 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक तरफा है । अपीलांट को सम्मन की तामील नहीं हुई है। गवाहों की उपस्थिति नहीं दर्शायी है । व्यक्तिशः तामील होनी चाहिए । तामील एक ही व्यक्ति रमेश का दी गई है । यदि व्यक्तिशः नहीं होती तो दुबारा तामील करवाते । आर्डर 5 नियम 17 की पालना नहीं की गई है । फाईनल डिक्री में हमको बुलाना चाहिए था जो नहीं बुलाया गया । मौके पर किसको बुलाया, पेपर पार्टीशन तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.03.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित की व दिनांक 14.03.2015 को विभाजन पत्र डिक्री दूषित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे (2) 2013 पेज 296 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 55/2019 व 57/2019 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 09.03.2015 को जवाबदावे में थी । दिनांक 25.05.2015 को कैम्प में प्रतिवादी अनुपस्थित रहे । दिनांक 27.07.2015 को जवाबदावे में राजीनामा पेश नहीं हुआ है । दिनांक 14.12.2015 में मुताबिक जमाबंदी सहमति राजीनामा लिखित में होना चाहिए। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन पत्र तैयार किया गया है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है और न ही फाईनल डिक्री के समय हमें बुलाया गया । दस्तावेज को एक्जीविट नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकिया पूरी नहीं की गई और निर्णय व डिक्री विधिवत नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । चारों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पक्षकारों को सम्मन की तामील विधिवत नहीं करवायी गई । अंतिम डिक्री जारी करने के समय पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई । लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है । पत्रावली जवाबदावे, साक्ष्य इत्यादि में लम्बित थी । बिना जवाबदावे एवं बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना ही प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में कर दिया गया है । विद्यायिका की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी वाद पत्र में दोनों पक्षों की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात तथा उनकी

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जिरह के पश्चात् उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण का विधिवत परीक्षण करने के पश्चात् निर्णय किया जाना श्रेष्ठ है । आर आर टी 2018 (2) पेज 1011 यहां चस्पा होती है । विभाजन प्रस्ताव तलब करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाना भी आवश्यक था । आर आर टी 2017 (1) पेज 610 यहा चस्पा होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 55/2019, 57/2019, 71/2019 एवं 72/2019 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.12.2015, 14.03.2015 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के प्रावधानों को दृष्टिगत राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में नये सिरे से बंटवारा रिपोट सम्बन्धित तहसीलदार स्वयं से मंगवाये और तद्नुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा